राजस्व अनुभाग–8

1. जोत चकबन्दी योजना, आय–व्ययक अनुमान तथा नीति विषयक मामले।
2. चकबन्दी आयुक्त के कार्यालय का सम्पूर्ण अधिष्ठान तथा चकबन्दी कार्यालयों के लिए टाइपराइटरों तथा मोटर गाड़ियों का क्रय, टेलीफोन आदि की व्यवस्था तथा लेखा आपत्तियों, गबन, कर्मचारियों की पेंशन, उनके स्थायीकरण तथा छटनी के मामले।
3. चकबन्दी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सम्बन्धित अनुशासनिक कार्यवाही तथा उनके प्रत्यावेदन, स्क्रीनिंग।
4. चकबन्दी कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सेवा नियमावली।
5. चकबन्दी कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित प्रत्यावेदन।
6. चकबन्दी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र।
7. चकबन्दी शुल्क तथा उसकी वसूली।
8. चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों का प्रतिनिधायन।
9. जिला परामर्शदात्री चकबन्दी समिति।
10. चेकिंग स्क्वायड तथा राजस्व मंत्री जी की चकबन्दी इकाइयों की निरीक्षण रिपोर्ट।
11. जनगणना सम्बन्धी कार्यों का समन्वय कार्य।
12. निर्वाचन सम्बन्धी समन्वय कार्य।
13. व्यवहृत विषयों से सम्बन्धित लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के प्रश्न, सूचनाएं, वक्तव्य, समितियों, वाद तथा निर्देश याचिकाओं सम्बन्धी कार्य।
14. प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा सौंपे गए कार्य।

———————